न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 26/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–23.01.2025

1. मोहनी भील पत्नी स्व0 उदालाल जाति भील निवासी भैरूपुरा आंतरी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीया

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री अनिल गुर्जर

वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 06/06/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 78 खसरा संख्या 338, 378, 742/389 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9389 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भेरूपुरा की आंतरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जिसमें मुझ प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 निहित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम फून्दी पत्नी उदा दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम मोहनी पत्नी उदा है प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, वोटर आ.डी कार्ड, राशन कार्ड, परिवार जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड व विद्युत विभाग के बिल व बैंक पासबुक व पेंशन कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम मोहनी भील पत्नी उदा ही दर्ज है लेकिन जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम फून्दी पत्नी उदा गलत दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीया फून्दी पत्नी उदा गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम मोहनी भी पत्नी उदा अंकित होने से प्रार्थीया उक्त भूमि पर प्रार्थीया को बैंक से ऋण वगे0 व सहकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है। प्रार्थीया ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज फून्दी पत्नी उदा के अंकन को विलोपित कर उसके स्थान पर प्रार्थीया का नाम मोहनी भील पत्नी उदा करने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा और प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली व राजस्व लोक अदालत केम्प भेरूपुरा

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

आंतरी में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थीया का नाम दुरूस्त नही किया गया है और अन्तिम बार राजस्व केम्प तहसीलद कार्यालय में लगा तो उक्त गलत इन्द्राज़ को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 15.12.2024 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम भेरूपुरा आतरी पटवार मण्डल आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने एव लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हे कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी कृषि भूमि खाता संख्या 78 खसरा संख्या 338, 378, 742/389 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9389 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भेरूपुरी आंतरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में दर्ज दुस्मात प्रार्थीया का नाम फून्दी पत्नी उदा के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम मोहनी भील पत्नी उदा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :- राजस्व/25/788 दिनांक :-20.05.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम भैरूपुरा आंतरी पटवार मण्डल आकोदा के खाता संख्या 78 में दर्ज अपना नाम फून्दी पत्नी उदा के स्थान पर मोहनी पत्नी उदा दर्ज करवाना चाहती है, जिसके संबंध में मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बरों में दर्ज सहखातेदार फून्दी पत्नी उदा व मोहनी पत्नी उदा एक ही महिला के नाम है जिनको फून्दी पत्नी उदा के स्थान पर मोहनी पत्नी उदा शुद्ध दर्ज किया जाना उचित होगा।

पेरोकार सरकार मुताबिक ज़ॉच नायब तहसीलदार दबलाना के आधार पर अपने जबाव में प्रार्थीया का नाम फून्दी पत्नी उदा के स्थान पर मोहनी पत्नी उदा शुद्ध दर्ज किया जाना सही बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम मोहनी पत्नी उदा है, जिसको मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, बैक खाता डायरी परिवार राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, जॉब कार्ड, स्थाई लेखा संख्या कार्ड व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत आकोदा पेश किए है जिनमें प्रार्थीया का सही नाम मोहनी भील पत्नी उदा अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थीगण/ पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष मुताबिक जॉच रिपोर्ट के दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम भैरूपुरा आंतरी पटवार मण्डल आकोदा के खाता संख्या 78 में दर्ज सहखातेदार के नाम फून्दी पत्नी उदा के स्थान पर मोहनी पत्नी उदा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 06.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

06/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446